बिहार सरकार
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल
सुपौल– 852131

बिहार सरकार
सुरेन्द्र कुमार, बिहार शिक्षा सेवा
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल

मोबाईल नम्बर:- 8544412053
दुरभाषा:- 06473–223078(कार्या0)
E-mail:- deosupaul.edn1@gmail.com

पत्रांकः 269 (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला सूचना पदाधिकारी,
एन0 आई0सी0, सुपौल।

सुपौल, दिनांक 17 / 07 /2023

विषयः– सुपौल जिले में अतिथि शिक्षकों के चयन से संबंधित विज्ञापन प्रारुप, विभागीय पत्र, विषयवार/कोटिवार रिक्ति एवं चयन से संबंधित शर्त्त आदि प्रकाशन करने संबंध में।

प्रसंग :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 400 दिनांक– 12.07.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सुपौल जिले के विभिन्न राजकीय/राजकीयकृत/उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के चयन से संबधित विज्ञापन प्रारुप, विभागीय पत्र, विषयवार/कोटिवार रिक्ति एवं चयन से संबंधित शर्त्त आदि प्रकाशन जिले के NIC के वेबसाईट पर किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन प्रारुप, विभागीय पत्र, विषयवार/कोटिवार रिक्ति एवं चयन से संबंधित शर्त्त आदि प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
17/07/23
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सुपौल।
17/07/23

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल

(माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)

सुपौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुपौल में संचालित

प्रेस विज्ञाप्ति

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 09/वि0वि0प0सं0–09/2015–400, दिनांक 12.07.2023 एवं पत्रांक 317 दिनांक 03.07.2023 के आलोक में सुपौल जिलान्तर्गत विभिन्न राजकीय/ राजकीयकृत/उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय अंग्रेजी– 06 गणित– 05, भौतिकी– 04, रशायन शास्त्र– 06, प्राणि विज्ञान– 01 वनस्पति विज्ञान– 01, कुल– 23 पद हेतु अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर के साथ बी0एड0 योग्यता अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। एम0टेक एवं बी0टेक प्रशिक्षित योग्यताधारी आवेदक भी आवेदन के पात्र है। आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 17.07.2023 से 20.07.2023 तक 05:00 बजे अपराह्न तक हाथों–हाथों/स्पीड पोस्ट से जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय, सुपौल के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, सुपौल (852131) के कार्यालय में ही स्वीकार्य होंगे।

विशेष जानकारी हेतु विहित प्रपत्र, उम्र सीमा, अनिवार्य योग्यता, विषयवार/कोटिवार पदो की विवरणी, निर्धारित पारिश्रमिक आदि की जानकारी जिले के http://Supaul.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।

17/07/23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सुपौल।

17/7/23

CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल
(माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)

अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु संबंधित विषयवार/कोटिवार समेकित आरक्षण की विवरणी है।

क्र0	विषय	कुल आवंटित पद	आरक्षण कोटि												
			UR	UR-F	EBC	EBC-F	SC	SC-F	BC	BC-F	RF	ST	ST-F	EWS	EWS-F
1	अंग्रेजी	06	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0
2	गणित	05	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
3	भौतिकी	04	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	रसायन शास्त्र	06	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1
5	प्राणि विज्ञान	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	वनस्पति विज्ञान	01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		23	1	0	1	3	6	8	2	0	1	0	0	0	1

16/7/23
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, सुपौल।
16/7/23

16/7/2023
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, सुपौल।

16/7/23
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सुपौल।

CamScanner

पत्रांक : 09 / वि0वि0प0स0–09 / 2015 ...५.००...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ..12./07./2023.

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निदेश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र प्राणिशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 [illegible]
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों आमंत्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

E:\Sec.Edu\Office Letter (SEC.DIRECTOR-II). 1070

विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023 तथा जिलावार उपलब्ध करायी गयी रिक्ति की प्रति विभागीय वेबसाईट www.educationbihar.gov.in पर भी देखा या डाउन लोड किया जा सकता है।

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 400 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 371

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 03.07.23

विषय : **राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।**

DEO मा0 शि0
DPO स्थापना

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए कुल–3144 अतिथि शिक्षक विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे है तथा 1113 रिक्तियॉं उपलब्ध हैं।

2100
4-7-23

उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :–

(i) संलग्न जिलावार रिक्ति के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्ति से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 371 पटना, दिनांक 03.07.23

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

विभागीय संकल्प सं0–51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु आवंटित जिलावार रिक्ति।

क्र०	जिला का नाम	आवंटित रिक्ति
1	पटना	51
2	नालन्दा	34
3	भोजपूर	32
4	बक्सर	19
5	रोहतास	34
6	भभुआ	20
7	गया	45
8	जहानाबाद	12
9	अरवल	9
10	नवादा	25
11	औरंगाबाद	28
12	मुजफ्फरपुर	50
13	सितामढ़ी	34
14	शिवहर	7
15	वैशाली	37
16	पू0 चम्पारण	52
17	प0 चम्पारण	40
18	सारण	43
19	सिवान	38
20	गोपालगंज	29
21	दरभंगा	41
22	मधुबनी	50
23	समस्तीपुर	48
24	सहरसा	20
25	सुपौल	23
26	मधेपुरा	22
27	पूर्णियां	32
28	अररिया	28
29	किशनगंज	17
30	कटिहार	31
31	भागलपूर	34
32	बांका	24
33	मुंगेर	17
34	शेखपुरा	8
35	लखीसराय	12
36	जमुई	21
37	खगड़िया	16
38	बेगूसराय	31
	कुल	**1113**

पत्रांक : 09/बि०वि०प०स०–09/2015 ....

Annexure-1 (32)

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।
संकल्प

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्त्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :–

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
	कुल:–	4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

CamScanner

(30)

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितं।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०–09/2015 ....51.... पटना, दिनांक .25-01-2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25.1.18
सचिव,
शिक्षा विभाग।

E:\Sanlekh 2017-18\Govt.-Nat-Uir SS teacher Availbility Sanlekh 2017-18.12

पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 264

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन'
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 18/5/2018

विषय : माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय संकल्प संख्या–51 दिनांक 25.01.2018 एवं विभागीय ज्ञापांक 09/बि0वि0प0स0–09/2015–247 दिनांक 07.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय संकल्प एवं ज्ञापांक का निदेश करें। संकल्प के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने का प्रावधान तथा विभागीय ज्ञापांक 09/बि0वि0प0स0–09/2015–247 दिनांक 07.05.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण संसूचित किया गया है।

निदेशानुसार निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक संकल्प द्वारा किये गये प्रावधान एवं प्रासंगिक विभागीय ज्ञापांक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु मेधा सूची/पैनल का निर्माण निम्नवत् किया जाय :–

(i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर–II) उत्तीर्ण हों, उन्हें मेधा सूची/पैनल में प्रथम वरीयता दी जाय।

(ii) संकल्प में निर्दिष्ट विषय के +2 स्तरीय सेवा निवृत्त शिक्षकों जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो को द्वितीय वरीयता दी जाय।

(iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को तृतीय वरीयता दी जाय।

(iv) एम.टेक/बी.टेक योग्यताधारी बी.एड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए उपरोक्त तीनों श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में मेधा सूची/पैनल में शामिल किया जाय।

परन्तु संकल्प में किये गये प्रावधान के आलोक में गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में ही संबंधित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त एवं स्वीकृत पद की सूचना देते हुए एम.टेक अथवा बी.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सेवा विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

18/5/2018

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–09/2015 264 पटना, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/5/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

E:\Sec.Edu\Office Letter (SEC.DIRECTOR)\L 447

D.P.O. RMSA 26/5/18

1192 26-5-18

324 29.5.18

पत्रांक : 09/बि०वि०प०स०–09/2015 ....

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

संकल्प

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्त्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :–

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
कुलः–		4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर–II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

CamScanner

परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 %. अंकों के साथ. बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरूद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहीकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार–प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्त्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/–प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/–प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या–21 के अन्तर्गत विपत्र कोड–2202021090001 के विषय शीर्ष–2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रॉबर्ट एल० चोंग्थू)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

CamScanner

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०—09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०—09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/बि०वि०प०स०—09/2015 ......51...... पटना, दिनांक .25-01-.2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25.1.18
सचिव,
शिक्षा विभाग।

E:\Sanlekh 2017-18\Govt.-Nat-Utr SS teacher Availbility Sanlekh 2017-18.12

CamScanner

दिनांक–27.04.2018 को माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध लिये जाने एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न विवरणी अनुसार।

1. सर्वप्रथम निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा उपस्थित राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) का स्वागत करते हुए उनके उपस्थिति के सन्दर्भ में सूचना प्राप्त किया गया।

2. बैठक में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध लिये जाने से संबंधित संकल्प में किये गये प्रावधानों एवं अन्य संगत विषयों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। विमर्श के दौरान अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रिक्ति की गणना, रोस्टर बिन्दु क्लियर कराना, मेधा सूची का निर्माण करना, एवं चयन सूची का निर्माण करना आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के द्वारा विभागीय पत्रांक–234 दिनांक–26.04.2018 का संदर्भ लेते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा माध्यमिक विद्यालय में लिए जाने पर पृच्छा किया गया। इस पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में निर्गत विभागीय संकल्प में यह अंकित है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी एवं शिक्षकों के नियोजन में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 संकाय) में हीं अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है। इस प्रकार उक्त पत्र में अंकित माध्यमिक विद्यालय को विलोपित मानते हुए आगे की कार्रवाई करने का निदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।

4. बैठक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण को उपलब्ध कराए गए फोल्डर में संधारित "अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र" के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से यह अनुरोध किया गया कि "अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र" को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इस संबंध में मुख्यालय स्तर से एक विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाए, ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र सुगमता से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतिथि शिक्षकों की सेवा लिए जाने के संदर्भ में विभिन्न पृच्छाऐं की गयीं जिससे संबंधित स्पष्टीकरण निम्नवत् संसूचित किया गया :–

(i) आयु सीमा :– सेवा लिए जाने वाले वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस को आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष।

(ii) +2 का विषय, जिसपर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा सकती है :– अंग्रेजी, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान।

(iii) रिक्ति की गणना :– संबंधित जिलों को +2 शिक्षकों के नियोजन हेतु विभाग द्वारा आवंटित पद अन्तर्गत (उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित) उपलब्ध विषयवार रिक्ति के विरूद्ध अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा सकती है। आरक्षण कोटिवार उपलब्ध विषयवार

CamScanner

रिक्ति को संबंधित जिला के एन.आई.सी. के वेबसाईट पर दिनांक–21 मई 2018 तक प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) आरक्षण :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिन्दु के आधार पर विषयवार रोस्टर पंजी का संधारण किया जायेगा, जो बिन्दु 1 से प्रारंभ होगा। जिले में विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति का विषयवार सामुहीकरण कर रिक्त पदों की गणना की जायेगी और तदनुसार विषयवार रोस्टर तैयार किया जायेगा। रोस्टर पंजी का निर्माण एवं संधारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा किया जायेगा। रोस्टर पंजी का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(v) **मेघा सूची/पैनल का निर्माण** :– इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा। पैनल विषयवार तैयार किया जायेगा। पैनल में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर–II) उत्तीर्ण होंगे, उन्हें रखा जायेगा। इसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, तदोपरांत स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी को रखा जायेगा। इन सबों के बाद एम. टेक योग्यताधारी और उनके बाद बी.टेक अभ्यर्थी को रखा जा सकेगा।

समान योग्यताधारी अभ्यर्थी का मेघा अंक के आधार पर पैनल में स्थान निर्धारित किया जा सकेगा। मेघा अंक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:–

(a) **स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर–II) उत्तीर्ण होंगे** :– स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत + प्रशिक्षण अर्हता के अंक का प्रतिशत + एस.टी.ई.टी (पेपर–II) के अंक का प्रतिशत/03

(b) **स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थी** :– स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत + प्रशिक्षण अर्हता के अंक का प्रतिशत /02

(c) **स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी** :– स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत।

(d) **एम.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थी** :– एम.टेक के अंक का प्रतिशत।

(e) **बी.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थी** :– बी.टेक के अंक का प्रतिशत।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मेघा सूची एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप चयन सूची तैयार की जायेगा और संबंधित चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर विद्यालय चिन्हित करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जायेगी।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारीगण द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा लिए जाने से संबंधित पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बैठक में हीं विमर्श के आधार पर प्रारूप पर सहमति बनी जो निम्नवत् है :–

विद्यालय का नाम
<u>"आमंत्रण पत्र"</u>

हर्ष के साथ विद्यालय परिवार आपको .... विषय में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु आमंत्रित करता है। आपके सेवा से संबंधित शर्त एवं परिलब्धियाँ विभागीय संकल्प संख्या–9/बि.बि.प.स.–09/2015–51 दिनांक–25.01.2018 के अधीन होगा।

कृपया उक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए अपना योगदान अगले 07 दिनों के अन्दर देना सुनिश्चित करेंगे।

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

CamScanner

8. अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित समय तालिका का अनुपालन करते हुए ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक से वर्ग संचालन प्रारंभ कराने का स्पष्ट निदेश दिया गया।

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित मांग पत्र जो लगभग 15 जिलों से प्राप्त हो चुका है, की सूचना देते हुए शेष जिलों से निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र अगले तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

10. माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाना है। इस हेतू मध्य विद्यालय के लिए निर्धारित भूमि संबंधित मापदण्ड में संशोधन करते हुए 75 डिसिमल भूमि की अनिवार्यता की गयी है। इस पृष्ठभूमि में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु मध्य विद्यालय को चिन्हित कर, उसे जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराकर निदेशालय को अगले एक माह में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

11. सी0एफ0एम0एस0 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर चर्चा की गई, इस हेतु जिला स्तरीय कार्यालय में एक कम्प्यूटर सेल की स्थापना, कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

12. प्रयोगशाला उपकरण एवं उपस्कर क्रय हेतु गत वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त की गयी थी। बैठक में यह सूचना दी गयी कि प्रयोगशाला उपकरण से संबंधित सांकेतिक सूची अगले एक सप्ताह में जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त सूचना के साथ यह निदेश दिया गया कि प्रयोगशाला उपकरण एवं उपस्कर का क्रय ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाए, ताकि ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

04/5/2018

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–9/बि0वि0प0स0–09/2015 247 पटना, दिनांकः– 7/5/2018

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/05/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–9/बि0वि0प0स0–09/2015 247 पटना, दिनांकः– 7/5/2018

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/सहायक निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित।

04/5/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–9/बि0वि0प0स0–09/2015 247 पटना, दिनांकः– 7/5/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव एवं सचिव शिक्षा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/5/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

CamScanner

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/ राजकीय /राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र।

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

पासपोर्ट साईज का स्व अभिप्रमाणित फोटो

1. जिला का नाम :–
2. विषय :–
3. अभ्यर्थी का नाम :–
4. (क) पिता का नाम :–
   (ख) माता का नाम :–
5. जन्म तिथि :–
6. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐
7. 1ली जनवरी को आयु :– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
8. स्थायी पता – ग्राम/मुहल्ला/सड़क/शहर ....

....

थाना .... जिला .... पिनकोड .... मोबाईल नम्बर .. .. ई–मेल ....

9. पत्राचार का पता – ग्राम/मुहल्ला/सड़क/शहर ....

....

.... थाना.................................. जिला .... पिनकोड ....

10. कोटि – सामान्य ☐ आरक्षित ☐
11. आरक्षण की कोटि :– अ0जा0 ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐ पि0व0 ☐
12. यदि विकलांग हो तो :– दृष्टिबाधित ☐ श्रवणबाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
13. योग्यता :–

शैक्षणिक	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद् या विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रति अं
मध्यमिक						
उच्चतर माध्यमिक /इंटरमीडिएट						
स्नातक/स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
प्रशैक्षणिक योग्यता						
बी0एड0						

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाएं सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये ज पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान ....

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती .... से माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में, आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम ए

CamScanner